



डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ०प्र०

सेक्टर-११, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-२२६०३१

पंत्राकः— ए०के०टी०य०० / कुस०का० / सुरक्षा / २०२५ / ६०८७

दिनांक ०१ मार्च, २०२५

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य

विश्वविद्यालय से संबद्ध सुरक्षा संस्थान।

विषय: कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट तथा चार पहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग किये जाने के संबंध में।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं०: ०६/२०२५/३६४/तीस-३- २०२५ दिनांक ११ फरवरी २०२५ (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उत्तर पत्र के माध्यम से सडक दुर्घटनाओं को कम करने के लिये मा० श्री न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे (पूर्व न्यायाधीश मा० सर्वोच्च न्यायालय), अध्यक्ष सडक सुरक्षा समिति की अध्यक्षता में दिनांक ०५.०२.२०२५ को लखनऊ में आहूत की गयी सडक सुरक्षा की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत हैं।

- उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दो पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक हो।
- इसी प्रकार, जो अधिकारी / कर्मचारी चार पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं। वे वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग न करें, एवं अन्य सभी सह-यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो।
- सभी विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी इस निर्देश का पूर्णतः पालन करें।
- सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मी हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जाँच करें। बिना हेलमेट / सीट बेल्ट के प्रवेश करने पर रोक लगायी जाए।
- यातायात पुलिस और जिला प्रशासन इस नियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें और उल्लंघन करने वाले पर आवश्यक कार्यवाही करें।
- सभी कर्मचारी सडक सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु जागरूक हो और हेलमेट व सीट बेल्ट को उपयोग को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाये।
- नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही पर विधार किया जाए।
- उपर्युक्त निर्देश केवल एक औपचारिकता न होकर, प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को इस पहल को गम्भीरता से लेना चाहिए और समाज में एक सकारात्मक वातावरण का सूजन करना चाहिए।

अतः कृपया शासन के उत्तर उल्लिखित पत्र दिनांक ११ फरवरी २०२५ के माध्यम से प्रदत्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।


भवदीय,
०१/०२/२०२५
(प्रो० राजीव कुमार)

का० कुलसचिव

प्रतिलिपि: स्टाफ अफिसर, कुलपति कार्यालय, ए०के०टी०य००, लखनऊ को मा० कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।


(प्रो० राजीव कुमार)
का० कुलसचिव

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या- ०६ /2025/364/तीस-3-2025

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / मंडलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस आयुक्त/ यरिठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

परियहन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: ।। फरवरी, 2025

विषय कार्यालय आते समय दोपहिया याहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट
तथा चारपहिया याहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिए सीट बैल्ट का अनिवार्य उपयोग
किये जाने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मा० श्री न्यायमूर्ति अभ्य मनोहर सप्रे (पूर्य न्यायाधीश, मा० सर्वोच्च न्यायालय),
अध्यक्ष, सङ्क सुरक्षा समिति मा० सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता में दिनांक 05 फरवरी,
2025 को लखनऊ में सङ्क सुरक्षा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सङ्क
दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में यह
पाया गया कि दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु का एक प्रमुख कारण दोपहिया याहन
चालकों और उनके सहयात्रियों द्वारा हेलमेट न पहनना तथा चारपहिया याहन चालकों एवं अन्य
यात्रियों द्वारा सीट बैल्ट का उपयोग न करना है।

2. उक्त बैठक में मा० अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय सङ्क सुरक्षा समिति द्वारा यह निर्देश दिये
गये कि :-

- (1) उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्थ-शासकीय कार्यालयों के अधिकारी
एवं कर्मचारी जो दोपहिया याहन से कार्यालय आते हैं, वे हेलमेट अनिवार्य रूप से
पहनें और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी
हेलमेट पहनना आवश्यक हो।
- (2) इसी प्रकार, जो अधिकारी/कर्मचारी चारपहिया याहन से कार्यालय आते हैं,
वे याहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें एवं अन्य सभी सह यात्रियों के
लिए सीट बैल्ट पहनना अनिवार्य हो।
- (3) सभी विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके

अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी इस निर्देश का पूर्णतः पालन करें।

(4) सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जांच करें। बिना हेलमेट/सीट बेल्ट के प्रवेश करने पर रोक लगाई जाए।

(5) यातायात पुलिस और जिला प्रशासन इस नियम का सख्ती से अनुपालन मुनिषित करें और उल्लंघन करने वालों पर आयश्यक कार्यवाही करें।

(6) सभी कर्मचारी सड़क सुरक्षा को बढ़ाया देने हेतु जागरूक हों और हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं।

(7) नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जाए।

(8) उपर्युक्त निर्देश केवल एक औपचारिकता न होकर, प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की सुरक्षा मुनिषित करने के लिए अत्यंत आयश्यक है। हम सभी को इस पहल को गंभीरता से लेना चाहिए और समाज में एक सकारात्मक यातायरण का सृजन करना चाहिए।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिषित किया जाय और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट परियहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को यथाशीघ्र प्रेषित किया जाए।

अधीकारी,

Signed by
(मनोज कुमार सिंह)
Manoj Kumar Singh
मुख्य सचिव
Date: 09-02-2025 14:40:52

संख्या- ०६ /2025/364(1)/तीस-3-2025. तिनांक।

प्रतिलिपि- अध्यक्ष, मा० सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
Signed by
Lakku Venkateshwari
Date: 10-02-2025 14:01:12
(लक्कु वेंकटेश्वरी)
प्रमुख सचिव ।